न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
34/2020	21.10.2020	06.09.2021

अनवान

1. गेरू पिता मुतबन्ना नाथू जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. शंकर पिता वरदा जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. मदनलाल पिता रामाजी जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. मोहनलाल पिता रामाजी जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
4. बद्री पिता डालूजी जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
5. मगनीराम पिता किशना जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
6. माधू पिता किशना जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।(विलोपित)
7. किशनलाल पिता गणेश जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
8. जगदीश पिता गणेश जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
9. बालू पिता गणेश जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
10. गणपत पिता माधवलाल जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
11. प्रकाशचन्द्र पिता रतनलाल जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
12. सोहनलाल पिता रतनलाल जाट आयु वयस्क निवासी बाबरियाखेडा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:44 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थीगण

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री बालेन्द्र कोठारी — प्रार्थी
एक तरफा — अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बाबरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 21 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 183, 189 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण आराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व में दिनांक 30.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 12 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत आदेशिका पर अंकित कर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध कार्यवाही ड्राप की गयी। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा बाबरियाखेडा पटवार हल्का दोवनी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 21 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 183, 189 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर [illegible] परिस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये [illegible] व्यवधान न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शा अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 800/– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:44 IST
Reason: SelfAttested

मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।
पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2022.01.06 17:54:44 IST
Reason: SelfAttested